प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– रिंगालगढ़
तहसील :– धनौल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रिंगालगढ से दड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **2.295 है0** आरक्षित वन भूमि **2.205 है0** सिविल सोयम भूमि **0.090 है0** वन पंचायत भूमि **0.00 है0** अर्थात् कुल **2.295 है0** वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **रिंगालगढ़**, द्वारा दिनांक 05/09/15 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को **रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग** निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पचायत रिंगालगढ़
ह0 [signature]
दि0 05/09/15
ग्राम प्रधान
क्षे0 पं0–जौनपुर टिहरी गढ़वाल

ग्राम सभा - रिंगालगढ़ — प्रारूप - 23.1

ज्ञानपाटि प्रमाण पत्र

रेखा दास

नरेन्द्र सिंह
राकेश सिंह
मुकेश सिंह
[illegible]
धीरा सिंह
[illegible]
गोविन्द पंवार
राजेश सिंह
विक्रम सिंह
घनश्याम सिंह
धन सिंह
धामन सिंह
Gabardan
राजु दास
स्वारूदास
राय सिंह
सुरत सिंह
[illegible]
रमेश सिंह
चन्दन सिंह
सोनी देवी
ओमप्रकाश सिंह
वीर सिंह

राजेन्द्र सिंह
रविन्द्र सिंह
Surendra Sangla
राजेन्द्र सिंह
Ranvir Singh
विक्रम सिंह
वीरेन्द्र सिंह
मोर सिंह
गोविन्द सिंह
राजेन्द्र सिंह
भावन सिंह
दलेब सिंह
चन्दन सिंह
भगवान सिंह
केदार सिंह
लोकेन्द्र सिंह
विमला देवी

अनुपाल सिंह
अर्जुन सिंह
अरविन्द सिंह
परमेन्द्र सिंह
योगेन्द्र सिंह
सुरेन्द्र सिंह
राजु दास
कलावती देवी
भीम सिंह
विजय सिंह
सुरत सिंह
सुरेन्द्र मनवाल
विजय मनवाल
गम्भीर मनवाल
संगीता राणा
विजेन्द्र सिंह मनवाल
उपेन्द्र सिंह

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जिला टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ से दडक मोटर मार्ग का निर्माण।(लम्बाई 3.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिंगालगढ से दडक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (2.295 है0 आरक्षित वनभूमि 2.205 है0, सिविल सोयम भूमि 0.090 है0 कुल भूमि 2.295) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) के द्वारा दिनांक 04/04/2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मीराज चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री के0 पी0 वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री एस0 एस0 नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4.	श्री मगनी देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत रिंगालगढ से दडक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.295 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा रिंगालगढ के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

(2)

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनौल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

04/4/16

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनौल्टी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मगनी देवी
मगनी देवी
सदस्य क्षेत्र पं0 रिंगालगढ़
वि0ख0–जौनपुर टि0ग0

04/4/16

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनौल्टी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगलढ से दडक मोटर माग का निर्माण (लम्बाई 3 कि0मी0)

उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के **रिंगालगलढ से दडक** मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295है0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड (टि0ग0)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड (टि0ग0)

तहसीलदार
धनोल्टी
टिहरी गढवाल

उपजिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढवाल

योजना का नाम :– जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण--पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि (सिविल सोयम भूमि 0.090 है0 व आरक्षित वनभूमि 2.205 है0) के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 11–9/98–एफ0सी0 दि0 05.02.2013 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा – सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Premitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Premitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

Anurag
कनि0अभि0
अ0ख0, लो0नि0वि0,
थत्यूड।

सहायक अभि0
अ0ख0, लो0नि0वि0,
थत्यूड।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0,
थत्यूड।

तहसीलदार
धनोल्टी

उपजिलाधिकारी
धनोल्टी

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी

FORME -I

(For projects other than linear project)

Government of Uttrakhand | Office of District Collector Tehri Garhwal

No. 3508/XXVI-122(2015-16) | Date .19-8-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Fights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5 feburary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.295 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of forest department (Executive Engineer Ty. Division P.W.D Thatyur T.G. (name of user agency) for construction of **Ringalgarh to Darak Motor road length 3.00 km** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of **Ringalgarh** Village(s) in Dhanolti, Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.295 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committee(s), gram Sabha(s) Sub – Division level committee and District Level committee are enclosed in annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grams Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Eucl: As above

Executive Engineer	Tehsildar	S.D.M.	District Collector
Ty.Div.PWD Thatyur	Dhanaulti	Dhanaulti	Tehri Garhwal

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of [illegible] I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring **2.295** Hectare for the costruction of Ringalgarh to Darak Motor road in Tehsil Dhanolty of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी

District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

It is Further certified that Minutes fo mee **Ringalgarh To Darak Motor Road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.295** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerfificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढवाल।

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।